तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **पाबूराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ शहर)** सू.अ.अपील संख्या 207/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.09.23	अपीलार्थी पाबूराम सुथार पुत्र कालूराम सुथार ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2023 में (1) राजस्थान सम्पर्क प्रकरण संख्या 12200119056880 में विभाग द्वारा स्तम्भ 7,8व 9 में नाम का गलत होना बताया जहां नाम गलत है उस स्क्रीन फोटो या जो रिकॉर्ड पर जो दस्तावेज है की प्रमाणित प्रति (2) अन्य बिन्दूओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, पीपाड़ शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	